# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर
## पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—19/19 (2019/00190) वाद पत्र

उनवान

1—आसु आत्मज भागीरथ कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1—नानुराम आत्मज अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—ग्राम पंचायत थला जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—माधु आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—धन्ना आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—नैना आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—सोहन आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

## <u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

**निर्णय** दिनांक 05.03.2020

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम थला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे वादी के खातेदार अधिकार एवं कब्जे काश्त की साबिक आराजी संख्या 989/2क रकबा 18 बिस्वा भूमि स्थित थी। उक्त साबिक आराजी संख्या 989/2क रकबा 18 बिस्वा को मुझ वादी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के तत्कालीन खातेदार अम्बालाल आत्मज भागीरथ कुमावत से दिनांक 06.09.2001 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया। जो जरिये नामान्तरणकरण संख्या 1420 के मुझ वादी के नाम से खातेदारी से दर्ज रकार्ड हुई तब से ही वादी उक्त आराजी पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग करता चला आ रहा हुॅ। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 989/2ख रकबा 17 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अमरा आत्मज भज्जा कुमावत के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की स्थित थी। इसी प्रकार साबिक आराजी संख्या 989/1 रकबा 1 बीघा भूमि नन्दा, सोहन, माधु, नैना, धन्ना आत्मज नाथु कुमावत के नाम खातेदारी से दर्ज थी तथा इसी अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे हे। तथा वादी की आराजी नम्बर 989/2क रकबा 18 बिस्वा साबिक राजस्व नक्शे में भी प्रतिवादी संख्या 1 के पिता अमरा कुमावत की साबिक आराजी सख्या 989/2ख के पूर्व दिशा में स्थित होकर फीट थी। ग्राम थला का भू प्रबन्ध हुआ, जिसमें वादी की साबिक आराजी संख्या 989/2क रकबा 18 बिस्वा के नवीन नम्बर 259 रकबा 0.19 है0 कायम किये गये तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की साबिक आराजी संख्या 989/2ख रकबा 17 बिस्वा के नवीन नम्बर 260 रकबा 0.18 है0 कायम किये गये तथा प्रतिवादी सख्या 3 लगायत 6 की साबिक आराजी संख्या 989/1 रकबा 1 बीघा के नवीन नम्बर 262 का विभाजन हो जाने से वर्तमान में आराजी संख्या 1824/262 रकबा 0.01 है। भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम, आराजी संख्या 1823/262 रकबा 0.02 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम व आराजी संख्या 1825/262 रकबा 0.01 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के नाम व आराजी संख्या 1822/262 रकबा 0.17 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड हुई है। भू प्रबन्ध अधिकारियो को साबिक राजस्व रेकार्ड एवं साबिक नक्शे के

अनुरूप ही वर्तमान राजस्व रेकार्ड व राजस्व नक्शा कायम करना चाहिये था जा नही कर मेका स्थिति के विपरीत नवीन आराजी संख्या 259 रकबा 0.19 है0 के नवीन नक्शे में गलत फीट कर देने से आराजी संख्या 259 राजस्व रेकार्ड में तो मुझ वादी के नाम दर्ज है लेकिन मौके पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का है। तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 की नवीन आराजी संख्या 1824 / 262, 1823 / 262, 1825 / 262, 1822 / 262 कुल रकबा 0.21 है0 उनके नाम दर्ज है लेकिन मौके पर मुझ वादी के मकानात बने हुए है एवं बाड़े बने हुए है। जिन पर मै वादी काबिज चला आ रहा हुँ। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के नाम दर्ज आराजी संख्या 1822 / 262 रकबा 0.17 है0, 1823 / 262 रकबा 0.02 है0, 1824 / 262 रकबा 0.01 है0, 1825 / 262 रकबा 0.01 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.21 है0 भूमि मे से रकबा 0.19 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया जिसमें से 0.05 है0 भूमि वादी ने आबादी में दर्ज करवा मकानात बना रखे है को गेमु आबादी मे व रकबा 0.14 है0 भूमि किस्म भूरे में दर्ज करवा साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में इन्द्राज दुरस्ती करवाया जाना आवश्यक हो गया तथा मुझ वादी के नाम दर्ज आराजी संख्या 259 रकबा 0.19 है0 मे से 0.14 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के नाम व आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है मे से 0.07 है0 भूमि कुल 0.21 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के नाम दर्ज होनी चाहिये प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का कुल रकबा 0.21 है0 भूमि मे से 0.19 है0 वादी के व शेष 0.02 है0 प्रतिवादी संख्या 1 के नाम व आराजी संख्या 261 रकबा 0.12 है0 जो प्रतिवादी संख्या 2 ग्राम पंचायत के नाम पर दर्ज है का सम्पूर्ण रकबा 0.12 है0 व आराजी संख्या 260 का पश्चिमी हिस्से मे से 0.04 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज होनी चाहिये जिसका कुल रकबा 0.18 है0 होगा। अतः सादर प्रार्थना है कि खातेदारी अधिकार एवं इन्द्राज दुरस्ती की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की घोषणात्मक डिक्री जारी फरमाई जावे कि ग्राम थला में स्थित नवीन आराजी संख्या 1822 / 262 रकबा 0.17 है0, आराजी संख्या 1823 / 262 रकबा 0. 02 है0, आराजी संख्या 1024 / 262 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 1825 / 262 रकबा 0.01 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.21 है0 भूमि मे से 0.19 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है जिसमे से 0.05 है0 भूमि गैमु आबादी 0.14 है0 भूमि किस्म भूरे राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवायी जाकर तदनुसार नवीन नक्शे में इन्द्राज दुरस्ती कराई जावें। बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी फरमाई जाए कि वादी के नाम दर्ज नवीन आराजी संख्या 259 रकबा 0.19 है0 भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार नाजायज दखलदांजी नही करे तथा उस पर किसी प्रकार कोई निर्माण कार्य न तो स्वयं करे व अन्य से करावे तथा वादी को शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी नही करे तथा मोके की यथास्थिति बनाये रखे। दौराने वाद कार्यवाही प्रतिवादीगण वादी की आराजी में किसी प्रकार का निर्माण कर देवे तो उसे प्रतिवादीगण के खर्चे से हटवाया जावे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 26.02.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1, 2, व 4, 6 की ओर से काउन्टर क्लेम अधिवक्ता हरिश टेलर द्वारा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 3 की आरे से काउन्टर क्लेम अधिवक्ता जाकिर हुसैन द्वारा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। एंव प्रतिवादी संख्या 5 बावजुद सूचना के उपसिथत नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रतिवादी 1, 2, 4 व 6 की ओर से अपने जवाब में वादपत्र में वर्णित समस्त तथ्यो को स्वीकार करते हुए जवाब दावा पेश किया ओर मजीद कथन एवं काउन्टर क्लेम के रूप में अकिंत किया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा वादग्रस्त भूमियो का नवीन नक्शा साबिक नक्शे व मौके के स्थिति के विपरीत बनाया गया है जिसको दुरस्त करते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दुरस्त किया जाना आवश्यक है।

प्रतिवादी संख्या 3 की ओर अपने जवाब में अंकन किया कि प्रतिवादी संख्या 3 से 6 व इनके भाई नन्दा के नाम साबिक आराजी सख्या 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि दर्ज थी इसमें 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी 3 के हिस्से में आयी जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा सभी भाईयो की सहमति से आबादी में परिवर्तित करायी व शेष 1 बीघा भूमि सभी भाईयो के सामलाती थी जिसका विभाजन हो चुका था तथा इसी विभाजन अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है। वादी की आराजी संख्या 259 रकबा 0.19 है0 भूमि जो प्रतिवादी के यहा फीट कर दी थी परन्तु अब वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा आराजी संख्या 1822 / 262 रकबा 0.17 है0 भूमि का विक्रय कर पंजीयन करा दिया है जिससे अब वादी की भूमि व प्रतिवादी संख्या 3 की भूमि में फेरबदल करने की आवश्यकता नही है इसी तरह वादी ने आराजी संख्या 259 रकबा 0.19 है0 भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 3 की इच्छा अनुसार विरम पिता नारू कुमावत व बक्षु पिता सुवानाथ योगी के नाम करा दी गई है जिसको बदस्तुर रखा जावे। इसी के साथ काउन्टर क्लेम करते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी 3 से 6 व उसके भाई नन्दा के नाम दर्ज भूमि मे से 15 बिस्वा भूमि आपसी सहमति से आबादी में सपरिवर्तन करायी जिसे बिलानाम आबादी कर ग्राम पंचायत थला के नाम कर दी जो गलत है। प्रतिवादी 3 से 6 तथा उसके भाई नन्दा के नाम शेष 989 / 1 रकबा 1 बीघा भूमि मे से 16 बिस्वा भूमि प्रतिवादी 3 की थी तथा शेष भूमि प्रतिवादी 4 से 6 की थी जो सड़क से लगती हुई थी तथा सभी का कब्जा सड़क से लगता हुआ था उसी अनुसार मौके पर काबिज चले आ रहे है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत तरमीम कर दी गई तथा आबादी में दर्ज करायी भूमि ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दी जो गलत होकर अवैध है प्रतिवादी 3 द्वारा आराजी संख्या 1822 / 262 का विक्रय पत्र वादी के नाम तथा वादी की आराजी 259 का विक्रय पत्र प्रतिवादी 3 के कहे अनुसार विरम पिता नारू कुमावत व बक्षु पिता सुवानाथ योगी के नाम करवा दिया जिससे उक्त भूमि विरम एवं बक्षु के नाम एवं आराजी संख्या 1822 / 262 पर वादी का कब्जा है जिससे उक्त दोनो नम्बरो में किसी प्रकार का फेरबदल नही किया जावे ओर विरम पिता नारू कुमावत व बक्षु पिता सुवानाथ योगी द्वारा भूमि क्रय करने से दोनो पक्षकार प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है जिससे उन्हे पक्षकार के रूप में संयोजित किये जावे अतः प्रतिवादी 4 से 6 आबादी आराजी संख्या 261 रकबा 0.16 है0 पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने का प्रयास कर रहै सो उनके विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री फरमाई जावें।

दौराने विचाराधीन वाद में वादी द्वारा दिनांक 21.08.2019 को प्रार्थना पेश कर निवेदन किया कि अब में उक्त वाद में कोई कार्यवाही नही करना चाहता हुॅं प्रकरण में मुझ वादी की कार्यवाही बन्द की जावे। जिस पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

यह प्रकरण भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा की गई त्रुटि बाबत् होने से विपक्षी कमांक 7 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर द्वारा जबाव के रूप में साबिक रेकार्ड एवं मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसका अवलोकन प्रतिवादी अधिवक्ता को कराया गया जिससे शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में दौराने सुनावाई दिनांक 26.02.2020 को विपक्षीगण मय अधिवक्ता उपस्थित जिन्होने मोका रिपोर्ट का अवलोकन के बाद प्रतिवादी अधिवक्ता 3 के द्वारा यह आपत्ति दर्शायी गई कि प्रत्येक खातेदार रास्ते से लगता हुआ है जबकि इसमें कुछ खातेदार को रास्ते से दुर दर्शाया गया है जिससे सम्बधित खातेदार का रास्ता बन्द होगा ओर कुछ विपक्षीगण द्वारा जबरन आगे अनाधिकृत कब्जा किया हुआ है जो गलत है प्रत्येक खातेदार को रास्ते की आवश्यकता होती है। ओर इस बाबत् आपस में चर्चा कर निवेदन किया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक नक्शे के अनुरूप पक्षकारान के नाम दर्ज आराजियात को मौके की स्थिति के अनुसार इन्द्राज नही कर मौके की स्थिति के विपरीत नक्शा बनाया गया जिससे प्राप्त मौका रिपोर्ट एवं विपक्षी 3 के आक्षेप को मध्यनजर रखते हुए साबिक नक्शे अनुसार विवादित भूमि पक्षकारान के नाम अपने अपने हक हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे इस बाबत् प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही होकर सहमति व्यक्त की गई ओर इसी सहमति स्वरूप विपक्षी कमांक 3 एवं विपक्षी कमांक 1, 2, 4, 6 के अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर किये गये। ओर इसी के साथ सोसरदेवी पत्नि लेहरू कुमावत के द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि हमारे परिवार में जो विवाद चल रहा है उसका निस्तारण चाहते है ओर रास्ते के पास आबादी भूमि में से पंचायत से आवासीय पट्टा सोसर के नाम रखा है जिसमे से भोजाराम के मकान के पूर्व की तरफ स्थित भू भाग मे से 10 फीट चोड़ाई में पिछे खेत में जाने हेतु रास्ता दे दिया जावे ओर उसके बदले मुझे जमीन दे दी जावे तो मुझे कोई आपत्ति नही है। प्रार्थना पत्र शामिल पत्रावली किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में दौराने सुनवाई मौका रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए साबिक नक्शे अनुसार रेकार्ड में भूमि पक्षकारान के नाम दर्ज करते हुए रेकार्ड दुरस्त करने हेतु की गई प्रार्थना एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा विपक्षी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट को विपक्षी कमांक 3 के द्वारा अवलोकन के बाद की गई आपत्ति को समावेश करते हुए मनन किया तो पाया कि वास्तव मे भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिक नक्शे ओर रेकार्ड अनुसार भूमि नवीन राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही कर गलत इन्द्राज कर दिया है विपक्षी कमांक 3 के अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया कि वादी आसु पिता भागीरथ एवं प्रतिवादी कमांक 3 माधु पिता नाथु कुमावत के मध्य नवीन नक्शे को लेकर विवाद हुआ जिस पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के मध्य आपसी समझौता होकर वादी ने अपने नाम दर्ज भूमि प्रतिवादी 3 की सहमति से विरम पिता नारू कुमावत व बक्षुनाथ पिता सुवानाथ योगी के नाम कर दी गई है एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा भूमि वादी के नाम कर दी गई है जिसको यथावत रजिस्ट्री अनुसार रखा जावें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा जो विकय पत्र निष्पाादित किया गया उसकी फोटोप्रति पत्रावली में पेश की गई।

तहसीलदार रायपुर के द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से पाया कि भू प्रबन्ध विभाग के द्वारा साबिक नक्शे व रेकार्ड के अनुरूप नवीन रेकार्ड तैयार करने में त्रुटि की गई है जिससे पक्षकारो के मध्य विवाद पैदा हुआ है। विपक्षी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब ओर काउन्टर क्लेम में निवेदन किया कि वादी आसु के नाम जो भूमि दर्ज रेकार्ड थी विपक्षी 3 की सहमति से बक्षुनाथ एवं विरम को विकय कर दी गई उसको यथावत रखी जावे किन्तु प्रकरण में वादी आसु के द्वारा वाद के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश करने पर न्यायालय द्वारा रेकार्ड ओर मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया गया उसके बाद भी वादी आसु द्वारा अपने नाम साबिक रकार्ड के मुकाबले विपरीत दर्ज की गई

भूमि को बक्षुनाथ योगी एवं विरम कुमावत को विक्रय कर दी गई ओर विक्रय पत्र प्रकरण में पेश किया गया जिसको यथावत रखा जाना उचित नही है चुकि प्रकरण में वादी के नाम दर्ज भूमि साबिक रकार्ड ओर नक्शे विपरीत दर्ज हुई है ओर जो भूमि आसु के नाम दर्ज रेकार्ड हो गई उस जगह साबिक नक्शे अनुसार कब्जा विपक्षीगणों का है ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 3 के काउन्टर क्लेम के आधार पर आराजी नम्बर 1656 / 259 रकबा 0.05 है0गेमु आबादी आराजी नम्बर 1657 / 259 रकबा 0.14 है0 भूमि मे से 0.11 है0 भूमि ही माधु के हिस्से में आती है ओर शेष भूमि अन्य प्रतिवादीगणो के आती है जिससे अन्य विपक्षीगण प्रभावित होते है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम पूर्ण रूप से स्वीकार योग्य नही है। वादी के नाम दर्ज आराजी नम्बर 1657 / 259 रकबा 0.14 है0 मे से 0.11 है0 भूमि ही विपक्षी संख्या 3 के हिस्से में आती है जो विपक्षी संख्या 3 की सहमति से विरम व बक्षुनाथ के नाम दर्ज जा सकती है किन्तु विक्रय पत्र में आराजी नम्बर 1656 / 259 रकबा 0.05 है0 भूमि का भी इन्द्राज है जो विकास पंचायत थला की भूमि है इसी तरह आराजी नम्बर 1657 / 259 रकबा 0.14 है0 मे से 0.04 है0 भूमि विपक्षी धन्ना, नैना, सोहन पिता नाथु के कब्जे काश्त की भूमि है जो क्रेता बक्षुनाथ व विरम कुमावत के नाम दर्ज नही की जा सकती है। साथ ही क्रेता बक्षुनाथ एवं विरम के द्वारा प्रकरण में स्थगन के दौरान भूमि खरीदी गई है जिसको रेकार्ड पर लिया जाना ओर क्रेता को पक्षकार संयोजित किया जाना भी न्यायहित में नही होन से रेकार्ड पर नही लिया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 3 के नाम की दर्ज आराजी 1822 / 262 रकबा 0.17 है0 भूमि क्रेता आसु पिता भागीरथ कुमावत के नाम दर्ज करने तक की सीमा तक का आशिक काउन्टर क्लेम स्वीकार योग्य है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 3 के द्वारा काउन्टर क्लेम में यह भी अंकन कि साबिक आराजी संख्या 989 / 1 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा मे से 15 बिस्वा भूमि प्रतिवादी 3 के द्वारा आबादी में दर्ज करायी गई है जिसको विकास पंचायत के बजाय प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज की जावे इस पर तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन करने से पाया कि साबिक आराजी नम्बर 989 / 1 मे से उत्तर की ओर रास्ते से लगती हुई 15 बिस्वा भूमि समर्पण से बिलानाम आबादी दर्ज हुई है खातेदार द्वारा समपर्ण कर देने के बाद समर्पित भूमि को पुनः समपर्ण कर्ता प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज नही की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 3 का यह तथ्य भी स्वीकार योग्य नही है। मौका रिपोर्ट के अनुसार आराजी नम्बर 260 एवं 1656 / 259 में स्थित आबादी से दक्षिण की ओर स्थित खेत में जाने हेतु रास्ते को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जाना है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर में इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्रकरण में साबिक रेकार्ड अनुसार प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार एवं प्रतिवादी संख्या 3 का आशिंक काउन्टर क्लेम माधु के नाम दर्ज आराजी संख्या 1822 / 262 रकबा 0.17 है0 भूमि वादी आसु के नाम विक्रय पत्र अनुसार दर्ज करने के तथ्य को स्वीकार करते हुए प्रकरण का निस्तारण करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## आदेश

अतः विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में दी गई सहमति, प्रार्थीया सोसर देवी पत्नि लेहरूलाल के प्रार्थना पत्र व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को आशिंक रूप से स्वीकार करते हुए एवं साबिक नक्शे अनुसार तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आदेश दिया जाता है कि (1) ग्राम थला की आराजी नम्बर 1822 / 262 रकबा 0.17 है0 सम्पूर्ण (जिसमे 0.05 है0 गेमुआबादी एवं 0.12 है0 भूरे) आराजी संख्या 1823 / 262

रकबा 0.02 है0 सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 भूमि आसु पिता भागीरथ कुमावत की खातेदारी जो पश्चिमी दिशा की ओर रहेगी (2) आराजी संख्या 1824/262 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 1825/262 रकबा 0.01 है0 सर्म्पूण, जो आसु से पूर्व की तरफ रहेगा, आराजी संख्या 261 रकबा 0.12 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 मे से 0.04 है0 भूमि जो आराजी संख्या 261 की पूर्वी मेड़ के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर रहेगा इस प्रकार कुल किता 4 कुल रकबा 0.18 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नानुराम पिता अमरा कुमावत की खातेदारी (3) आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 मे से 0.07 है0 गेमु आबादी, आराजी संख्या 1656/259 रकबा 0.05 है0 गेमु आबादी, जो मौका स्थिति अनुसार रास्ते के पास, आराजी संख्या 259/1644 रकबा 0.04 है0 गेमु आबादी जो वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार इस प्रकार कुल किता 3 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 विकास पंचायत थला के नाम (4) आराजी संख्या 1657/259 रकबा 0.14 है0 मे से 0.02 है0 भूमि आराजी नम्बर 259/1644 आबादी भूमि एवं इसी से लगती हुई पश्चिम की ओर 1656/259 की आबादी से दक्षिण की ओर आबादी के सहारे सहारे जगदीश के बाड़े के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 धन्ना पिता नाथु कुमावत की खातेदारी (5) आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 मे से 0.01 है0 भूमि श्री भोजाराम के मकान की सीद में दक्षिण की ओर नैना पिता नाथु कुमावत की खातेदारी (6) आराजी संख्या 1657/259 रकबा 0.14 है0 मे से 0.01 है0 भूमि इसी नम्बर मे स्थित आबादी से दक्षिण की ओर भोजाराम के मकान के दक्षिणी पूर्वी कोने से 10 फीट छोड़ने के बाद से आबादी में स्थित जगदीश के बाड़े के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक का रकबा प्रतिवादी संख्या 6 सोहन पिता नाथु कुमावत की खातेदारी (7) आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 मे से 0.06 है0 भूमि नानुराम से पूर्व की तरफ तथा इसी नम्बर में स्थित आबादी भूमि से दक्षिण की ओर नेना को दी गई भूमि के पश्चिमी ओर एवं श्री सोहनलाल के बाड़े के सहारे 800 वर्ग फीट आबादी की भूमि छोड़ने के बाद दक्षिणी ओर की भूमि एवं आराजी संख्या 1657/259 रकबा 0.14 है0 मे से 0.11 है0 भूमि श्री धन्ना एवं सोहन को दी हुई भूमि से दक्षिण की ओर का रकबा, कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि प्रतिवादी सख्या 3 माधु पिता नाथु कुमावत की खातेदारी भूमि घोषित की जाती है। विपक्षी कमांक 3 (माधु) को अपनी भूमि जाने हेतु रास्ते के लिये श्री भोजाराम के मकान के सहारे सहारे 10 फीट चोड़ाई में सोसर पत्नि लहेरूलाल के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त रासते की भूमि आराजी संख्या 1657/259 का भाग होगा जिसके बदले सोसर को सोहन पिता नाथु के बाड़े के दक्षिण की ओर स्थित आराजी नम्बर 260 मे से 800 वर्गफीट आबादी भूमि सोसर के कब्जे में रहेगी। उक्त निर्णय सभी पक्षकारान की सहमती व मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए पारित किया गया है असी अनुसार प्रकरण में वर्णित पक्षकारो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि कोई पक्ष निर्णय में वर्णित भूमि के अलावा अन्य पक्षकार के कब्जे में किसी तरह का न तो स्वयं व न अन्य से दखल करावें। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5.3.2020

सुन्दरलाल बम्बोड़ा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा**

**पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बरः–19/19 (2019/000190) वाद पत्र

**उनवान**

1–आसु आत्मज भागीरथ कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1–नानुराम आत्मज अमरा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–ग्राम पंचायत थला जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–माधु आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–धन्ना आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–नैना आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–सोहन आत्मज नाथु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा

**प्रतिवादीगण**

## वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रुबरू हमारे बहाजरी विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में दी गई सहमति, प्रार्थीया सोसर देवी पत्नि लेहरूलाल के प्रार्थना पत्र व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम को आशिंक रूप से स्वीकार करते हुए एवं साबिक नक्शे अनुसार तैयार की गई मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में आदेश दिया जाता है कि (1) ग्राम थला की आराजी नम्बर 1822/262 रकबा 0.17 है0 सम्पूर्ण (जिसमे 0.05 है0 गेमुआबादी एवं 0.12 है0 भूरे) आराजी संख्या 1823/262 रकबा 0.02 है0 सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 0.19 है0 भूमि आसु पिता भागीरथ कुमावत की खातेदारी जो पश्चिमी दिशा की ओर रहेगी (2) आराजी संख्या 1824/262 रकबा 0.01 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 1825/262 रकबा 0.01 है0 सर्म्पूण, जो आसु से पूर्व की तरफ रहेगा, आराजी संख्या 261 रकबा 0.12 है0 सम्पूर्ण, आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 मे से 0.04 है0 भूमि जो आराजी संख्या 261 की पूर्वी मेड़ के सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर रहेगा इस प्रकार कुल किता 4 कुल रकबा 0.18 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नानुराम पिता अमरा कुमावत की खातेदारी (3) आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 मे से 0.07 है0 गेमु आबादी, आराजी संख्या 1656/259 रकबा 0.05 है0 गेमु आबादी, जो मौका स्थिति अनुसार रास्ते के पास, आराजी संख्या 259/1644 रकबा 0.04 है0 गेमु आबादी जो वर्तमान राजस्व नक्शे अनुसार इस प्रकार कुल किता 3 कुल रकबा 0.16 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 2 विकास पंचायत थला के नाम (4) आराजी संख्या 1657/259 रकबा 0.14 है0 मे से 0.02 है0 भूमि आराजी नम्बर 259/1644 आबादी भूमि एवं इसी से लगती हुई पश्चिम की ओर 1656/259 की आबादी से दक्षिण की ओर आबादी के सहारे सहारे जगदीश के बाड़े के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक की भूमि प्रतिवादी संख्या 4 धन्ना पिता नाथु कुमावत की खातेदारी (5) आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 मे से

0.01 है0 भूमि श्री भोजाराम के मकान की सीद में दक्षिण की ओर नैना पिता नाथु कुमावत की खातेदारी (6) आराजी संख्या 1657/259 रकबा 0.14 है0 मे से 0.01 है0 भूमि इसी नम्बर मे स्थित आबादी से दक्षिण की ओर भोजाराम के मकान के दक्षिणी पूर्वी कोने से 10 फीट छोड़ने के बाद से आबादी में स्थित जगदीश के बाड़े के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक का रकबा प्रतिवादी संख्या 6 सोहन पिता नाथु कुमावत की खातेदारी (7) आराजी संख्या 260 रकबा 0.18 है0 मे से 0.06 है0 भूमि नानुराम से पूर्व की तरफ तथा इसी नम्बर में स्थित आबादी भूमि से दक्षिण की ओर नेना को दी गई भूमि के पश्चिमी ओर एवं श्री सोहनलाल के बाड़े के सहारे 800 वर्ग फीट आबादी की भूमि छोड़ने के बाद दक्षिणी ओर की भूमि एवं आराजी संख्या 1657/259 रकबा 0.14 है0 मे से 0.11 है0 भूमि श्री धन्ना एवं सोहन को दी हुई भूमि से दक्षिण की ओर का रकबा, कुल किता 2 कुल रकबा 0.17 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 3 माधु पिता नाथु कुमावत की खातेदारी भूमि घोषित की जाती है। विपक्षी कमांक 3 (माधु) को अपनी भूमि जाने हेतु रास्ते के लिये श्री भोजाराम के मकान के सहारे सहारे 10 फीट चोड़ाई में सोसर पत्नि लहेरूलाल के द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त रासते की भूमि आराजी संख्या 1657/259 का भाग होगा जिसके बदले सोसर को सोहन पिता नाथु के बाड़े के दक्षिण की ओर स्थित आराजी नम्बर 260 मे से 800 वर्गफीट आबादी भूमि सोसर के कब्जे में रहेगी। उक्त निर्णय सभी पक्षकारान की सहमती व मौका स्थिति को मध्यनजर रखते हुए पारित किया गया है असी अनुसार प्रकरण में वर्णित पक्षकारो के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि कोई पक्ष निर्णय में वर्णित भूमि के अलावा अन्य पक्षकार के कब्जे में किसी तरह का न तो स्वयं व न अन्य से दखल करावें। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज करते हुए राजस्व नक्शे में तरमीम की जावे। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावें।

वाद में डिक्री आज दिनांक 05.03.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(सुन्दरलाल बम्बोड़ा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.03.12 15:29:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: